महाराष्ट्र राज्य व अन्य

बनाम

जुबैर हाजी कासिम

जुलाई 11, 2008

[ए.के. माथुर एवं अल्तमस कबीर, न्यायाधिपतिगण]

निवारक निरोध- COFEPOSA Act के अन्तर्गत निरोध- सलाहकार बोर्ड द्वारा विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मांगने वाले निरूद्ध के अभ्यावेदन की अस्वीकृति- औचित्य- माना गया: यद्यपि निरूद्ध के पास उक्त अधिनियम की धारा 8(ई) के तहत सलाहकार बोर्ड के समक्ष विधिक सहायता का कोई विधिक अधिकार नहीं है, परन्तु वह ऐसा अनुरोध करने का अधिकारी है तथा बोर्ड अनुरोध पर विचार करने के लिये बाध्य है- निवारक निरोध अधिनियमों के अन्तर्गत निरोध मौलिक अधिकारों पर एक गंभीर एवं तीव्र आक्रमण है- शक्तियों के विवेकहीन प्रयोग रोकने के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपायों पर लापरवाही से विचार नहीं किया जाना चाहिए- भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 19 एवं 21- विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974- एस.एस. 3(1) एवं 8(ई)।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के भाई को विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 3(1) के अन्तर्गत निरूद्ध किया गया था। निरूद्ध ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के माध्यम से एक रिट याचिका दायर की। इसी बीच विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति के लिए सलाहकार बोर्ड में उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि ''कुछ स्पष्ट कारणों के लिए'' प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह

कहते हुए स्वीकार कर लिया कि सलाहकार बोर्ड ने त्रुटिपूर्ण आधारों पर निरूद्ध के अभ्यावेदन को खारिज किया। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपीलों को खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि:

1. उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 8(ई) के अन्तर्गत एक निरूद्ध को सलाहकारी बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों में विधिक सहायता का कोई अधिकार नहीं है, वह बोर्ड के समक्ष ऐसा अनुरोध करने का हकदार है और बोर्ड ऐसा अनुरोध किए जाने पर उस पर विचार करने के लिए बाध्य है। [पैरा 14][837-एफ एवं जी]

2. मौजूदा मामले में, एक विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति के लिए निरुद्ध व्यक्ति की प्रार्थना को सलाहकार बोर्ड ने यह देखते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी प्रार्थना पर ''कुछ स्पष्ट कारणों से'' विचार नहीं किया जा सकता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन को अस्वीकार करते समय सलाहकार बोर्ड ने उसके गुणावगुण पर वास्तव में अपने विवेक का प्रयोग किए बिना, जैसा कि उसके करना आवश्यक था, अस्पष्ट शब्दों का सहारा लिया। [पैरा 15][837-जी एवं एच, 838-बी]

3. किसी भी निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी नागरिक का निरोध संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 के तहत नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर एक गंभीर और तीव्र आक्रमण है। इस तरह के निरोध को बुरी आवश्यकता मानते हुए हिरासत की कार्यवाही के विभिन्न चरणों में विभिन्न सुरक्षा उपाय किए गए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी शक्तियों का उपयोग हिसाब बराबर करने या किसी तथाकथित अपराध की जांच या विचारण की प्रक्रिया को शार्ट-सर्किट करने के लिए नहीं

किया गया हो। निरुद्ध द्वारा सलाहकार बोर्ड के समक्ष विधिक सहायता के लिए किए गए अभ्यावेदन पर लापरवाही से विचार नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि इस मामले में किया गया, बल्कि उचित सोच-विचार के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि निरोध के हर मामले में, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है।[पैरा 16][838- सी, डी, ई एवं एफ]

श्रीमती कविता बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य 1981 (3) एस.सी.सी. 558; नंद लाल बजाज बनाम पंजाब राज्य 1981(4) एस.सी.सी.एफ. 327- पर आधारित।

कैकलवा सेमुएल कोंगवा बनाम भारत संघ 1985(1) Bom. 742 सी.आर. 742- स्वीकृत।

ए.के. रॉय बनाम भारत संघ 1982 (1) एस.सी.सी. 271- संदर्भित।

आपराधिक अपीलीय क्षैत्राधिकार: 2008 की आपराधिक अपील संख्या 1064

वर्ष 2005 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 2312 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय व अंतिम आदेश दिनांकित 30.6.2006 से।

रविन्द्र केशवराव एडसुरे और गौतम गोदारा, अपीलार्थियों की ओर से।

नरेश कौशिक, मनीष कौशिक एवं के.ए. जंजानी, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय अल्तमस कबीर, न्यायाधिपति के द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. यहां प्रत्यर्थी सं. 1 के भाई अबु बकर हाजी कासिम को प्रधान सचिव (अपील एवं सुरक्षा) महाराष्ट्र सरकार, जिसे विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों

की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 3(1) के तहत विशेष रूप से सशक्त किया गया था, के द्वारा जारी निरोध के आदेश दिनांकित 09, सितंबर, 2005 के अनुसरण में दिनांक 10, सितंबर, 2005 को उसकी गिरफ्तारी के पश्चात निरोध में रखा गया था (इसके बाद इसे "COFEPOSA Act, 1974" के रूप में जाना जाएगा)।

3. 22, सितंबर, 2005 को उक्त अबू बकर हाजी कासिम (इसके बाद इसे निरुद्ध के रूप में संदर्भित किया गया) ने प्रत्यर्थी सं. 1 के माध्यम से 2005 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 2312 बोम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष निरोध के आदेश दिनांक 09 सितंबर, 2005 को रद्द और अपास्त करने के लिए दायर की। साथ ही, सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों में निरुद्ध ने एक विधि व्यवसायी के माध्यम से कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति के लिए एक अभ्यावेदन दिया। ऐसा अभ्यावेदन हालांकि, 28 अक्टूबर, 2005 को सलाहकार बोर्ड द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि COFEPOSA Act, 1974 के तहत, एक निरुद्ध विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व का हकदार नहीं था और फलस्वरूप ऐसी प्रार्थना पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं था। वास्तव में, सलाहकार बोर्ड ने निरुद्ध की ओर से विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व की अनुमति के लिए की गई प्रार्थना को इस आधार पर खारिज किया कि ऐसी प्रार्थना पर ''कुछ स्पष्ट कारणों से'' विचार नहीं किया जा सकता है।

4. जब रिट याचिका की सुनवाई हुई तो उच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया और कैकलवा सेमुएल कोंगवा बनाम भारत संघ [1985(1) Bom. 742 सी.आर. 742] में बोम्बे उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच के निर्णय पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और निरोध आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि एक विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व करने की

अनुमति के लिए निरुद्ध में लिए गए व्यक्ति की प्रार्थना को उचित विचार के बाद खारिज नहीं किया गया था, बल्कि गलत आधार पर खारिज किया गया था। यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि कैकलवा सेमुएल कोंगवा के मामले (सुप्रा) में बोम्बे उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच ने इस प्रकार कहा:-

> "एक विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए एक निरुद्ध द्वारा किए गए अनुरोध पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है 1. कि विधि निरुद्ध को ऐसा अधिकार नहीं देती है, या 2. कि किसी विधि व्यवसायी द्वारा निरुद्ध के प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं देना बोर्ड की प्रथा है।"

5. बोम्बे उच्च न्यायालय के रिट याचिका को स्वीकार करने तथा निरोध के आदेश को रद्द करने के उक्त निर्णय और आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई है।

6. हालांकि, निरोध के आदेश की अवधि 9, सितंबर 2006 को समाप्त हो गई, अपीलकर्ता महाराष्ट्र राज्य की ओर से उपस्थित श्री एडसुरे ने निवेदन किया कि जिस आधार पर उच्च न्यायालय ने निरोध के आदेश को रद्द कर दिया था, वह त्रुटिपूर्ण है और इसे सुधारना आवश्यक था।

7. संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (3)(बी) का उल्लेख करते हुए श्री एडसुरे ने निवेदन किया कि निवारक निरोध में रखा गया व्यक्ति सलाहकार बोर्ड के समक्ष एक विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व करने का हकदार नहीं है। इस संबंध में, श्री एडसुरे ने COFEPOSA Act, 1974 की धारा 8(ई) का भी उल्लेख किया जो इस प्रकार है:-

" 8(ई)- जिस व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत निरोध आदेश दिया गया है, वह सलाहकार बोर्ड को किए गए निर्देश से सम्बद्ध किसी मामले में किसी विधि व्यवसायी द्वारा हाजिर होने का हकदार नहीं होगा और सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट, उसके उस भाग के सिवाय जिसमें बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट हो, गोपनीय होगी।"

8. श्री एडसुरे ने निवेदन किया कि संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (3)(बी) के साथ-साथ COFEPOSA Act, 1974 की धारा 8(ई) दोनों यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी निवारक निरोध के तहत निरुद्ध व्यक्ति सलाहकार बोर्ड के समक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व करने का हकदार नहीं होगा।

9. अपने तर्कों के समर्थन में श्री एडसुरे ने श्रीमती कविता बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य [1981(3)एस.सी.सी. 558] में इस न्यायालय के निर्णय के कुछ अंशों पर भरोसा जताया, जिसमें कुछ अन्य प्रश्नों के साथ, निरुद्ध के सलाहकार बोर्ड के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करने के अनुरोध से संबंधित प्रश्न COFEPOSA Act, 1974 की धारा 8(ई) के प्रावधानों के तहत विचारार्थ आया। उक्त मामले में, सलाहकार बोर्ड के समक्ष एक अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने के लिए निरुद्ध व्यक्ति के अनुरोध को सरकार द्वारा अस्वीकार करने के कारण एक समान प्रश्न उत्पन्न हुआ था। सरकार द्वारा निरुद्ध को सूचित किया गया कि COFEPOSA Act, 1974 की धारा 8(ई) के अनुसार, वह सलाहकार बोर्ड के समक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार नहीं था और इसलिए उसके अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं था। तीन न्यायाधीशों की बैंच ने राज्य सरकार के जवाब पर विचार करते हुए इस प्रकार कहा:-

"यह सत्य है कि धारा 8(ई) निरुद्ध को वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने के अधिकार का दावा करने से वंचित करती है, लेकिन यह उसे वकील की सेवाओं के लिए अनुरोध करने से वंचित नहीं करती है।"

10. आगे यह देखा गया कि पर्याप्त विधिक सहायता के बिना संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत निरुद्ध की वैयक्तिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है और अर्थहीन हो सकती है। किसी निरुद्ध के विधिक सहायता के अनुरोध पर प्रत्येक विशिष्ट मामले में उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, चूंकि उक्त मामले में, निरुद्ध ने सलाहकार बोर्ड के समक्ष आवेदन नहीं किया था, यह माना गया कि यह नहीं कहा जा सकता कि निरुद्ध को अधिवक्ता की सहायता से गलत तरीके से वंचित किया गया था। इसलिए श्री एडसुरे ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि सलाहकारी बोर्ड के समक्ष एक विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने के लिए निरुद्ध को कोई विधिक अधिकार नहीं दिया गया है।

11. श्री एडसुरे ने ए.के. रॉय बनाम भारत संघ [1982(1)एस.सी.सी.271] के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का भी उल्लेख किया जिसमें इस अपील में उठाए गए प्रश्नों पर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971 एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विस्तार से विचार किया गया था और यह खेद के साथ कहा गया कि निरूद्ध व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाही में किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से उपस्थित होने का कोई अधिकार नहीं था।

12. इसी मुद्दे पर कई अन्य निर्णयों का भी श्री एडसुरे ने अपने तर्क के समर्थन में उल्लेख किया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के भाई के निरोध आदेश को रद्द करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश गलत था और रद्द किये जाने योग्य था।

13. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से, उच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्त किए गए विचारों को दोहराया गया और आग्रह किया गया कि तत्कालिक अपील में उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. संबंधित पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि इस अपील में लगाए गए उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। श्रीमती कविता के मामले (सुप्रा) जिस पर श्री एडसुरे द्वारा भरोसा किया गया था, में यह भी निर्धारित किया गया था कि हालांकि एक निरूद्ध को COFEPOSA Act, 1974 की धारा 8(ई) के तहत सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाही में विधिक सहायता का अधिकार नहीं है, वह बोर्ड से ऐसा अनुरोध करने का हकदार है और बोर्ड ऐसे अनुरोध पर विचार करने के लिए बाध्य है।

15. तत्कालिक मामले में, एक विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति के लिए निरूद्ध व्यक्ति की प्रार्थना को सलाहकार बोर्ड ने यह देखते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी प्रार्थना पर ''कुछ स्पष्ट कारणों से'' विचार नहीं किया जा सकता है। तथाकथित तर्क श्रीमती कविता के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय का खंडन करता है, इसलिए कायम नहीं रखा जा सकता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का निर्णय जिस पर हाई कोर्ट ने निरोध आदेश को रद्द करने के लिये भरोसा किया था, वही बात कहता है जो इस न्यायालय ने श्रीमती कविता के मामले (सुप्रा) एवं नंदलाल बजाज बनाम पंजाब राज्य [1981 (4)एस.सी.सी.एफ.327] के मामले में कही है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निरूद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन को अस्वीकार करते समय सलाहकार बोर्ड ने उसके गुणावगुण पर वास्तव में आवश्यकतानुसार अपने विवेक का प्रयोग किये बिना अस्पष्ट शब्दों का सहारा लिया। 16. किसी भी निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी नागरिक को निरूद्ध करना संविधान के अनुच्छेद 19 और

21 के तहत नागरिकों को प्रदत मौलिक अधिकारो पर एक गम्भीर और तीव्र आक्रमण है। इस तरह के निरोध को एक बुरी आवश्यकता मानते हुए, निरोध कार्यवाही के विभिन्न चरणों में विभिन्न सुरक्षा उपाय किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी शक्तियों का उपयोग हिसाब बराबर करने या किसी कथित अपराध की जांच और विचारण की प्रक्रिया को शॉर्ट सर्किट करने के लिए अंधाधुंध नहीं किया जाता हो। श्रीमती कविता के मामले (सुप्रा) एवं नंदलाल बजाज के मामले (सुप्रा) में भी इस न्यायालय ने माना कि भले ही निरूद्ध व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाही में विधि व्यवसायी के माध्यम से उपस्थित होने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन वह बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए अधिवक्ता की सेवा के लिए कथित बोर्ड के समक्ष अभ्यावेदन करने का हकदार था, जो विशेष मामले के तथ्यों पर निष्पक्षता से विचार करने के दायित्व के अधीन था, इसलिये सलाहकर बोर्ड के समक्ष विधिक सहायता के लिए निरूद्ध द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर लापरवाही से विचार नहीं करना चाहिए, जैसा कि इस मामले में किया गया है, बल्कि विवेक के उचित प्रयोग के साथ विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि निरोध के प्रत्येक मामले में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल होता है।

17. अतः, हमें इस अपील में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं प्रकट होता है, और अपील तदनुसार खारिज की जाती है।

18. यह निर्णय आपराधिक अपील सं. 1065(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) क्रमांक 1975,2007) शीर्षक महाराष्ट्र राज्य बनाम शीतल मनोहर गौरे को भी शासित करेगा।

के.के.टी.

अपीलें खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रमेश कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।